रजिस्ट्री सं डी.एल.-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 375] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 20, 2008/फाल्गुन 30, 1929

No. 375] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 20, 2008/PHALGUNA 30, 1929

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2008

का.आ. 533(अ)—भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, 1994 के खण्ड 40, वायुयान नियमावली 78 के नियम 11 के साथ पठित, वायुयान अधिनियम, 1934 के खण्ड 5 तथा खण्ड 5(क) के अधीन निहित शक्तियों का निर्वाह करते हुए तथा इस संबंध में लागू अन्य सभी सांविधिक तथा सक्षम शक्तियां, 20 दिसम्बर, 2004 को हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एच.आई.ए.एल.) तथा भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित रियायत करार के उपबंध 5.5 सहित, सभी संविदात्मक वचनबद्धताओं का मान रखते हुए, अधिसूचना संख्या का. आ. 504(अ) दिनांक 14 मार्च, 2008 को और आगे इसके अनुक्रम में, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि 23 मार्च, 2008 के 00.01 बजे से शमशाबाद में राजीव गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के कार्य आरंभ करने के साथ हैदराबाद का वर्तमान हवाईअड्डा नागर विमानन प्रचालनों के लिए उपलब्ध नहीं होगा (जो इस प्रयोजन के लिए इसमें विमान कार्यकलाप, वी.आई.पी. विमान को लीज़ अथवा किराए पर, विशेष रूप से सरकार के स्वामित्व, विशिष्ट व्यक्तियों के परिवहन के लिए अथवा इस प्रकार के अन्य प्राधिकारियों द्वारा अथवा भारतीय वायु सेना अथवा स्वयं के अथवा प्रचालित (किसी भी समय) अथवा राष्ट्रीय आपातकाल के समय विमान का प्रयोग भारत के अन्य सशस्त्र सेनाओं अथवा अर्ध सैनिक बल अथवा पुलिस अथवा इस प्रकार के प्राधिकारियों के लिए प्रयोग किया जाना शामिल नहीं होगा)। वर्तमान हवाई अड्डे के लिए अंतरराष्ट्रीय विमान परिवहन संघ कोड "एच वाई डी" को उपरोक्त तारीख और समय से राजीव गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे को हस्तांतरित किया जाता है ।

वाणिज्यिक विमानों के लिए नागर विमानन प्रचालनों को हटा देने के बावजूद भी सामान्य विमानन सेवाएं (वाणिज्यिक विमान, चार्टर्ड उड़ानों, वाणिज्यिक प्रबंधों के अधीन प्रचालित अथवा किराए पर लिए गए विमान को छोड़ कर) हैदराबाद पर वर्तमान हवाई अड्डे पर प्रदान किया जाना जारी रखा जा सकता है । बेगमपेठ, हैदराबाद के वर्तमान हवाई अड्डे को प्रचालन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को जारी लाइसेंस उपरोक्त सीमा तक विशिष्ट रूप से संशोधित माना जाएगा ।

[फा. सं. एवी-20014/002/2008-एडी]

के. एन. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2008

S.O. 533(E).— In continuation of and further to the notification No. SO 504 (E) dated 14th March, 2008, in exercise of powers under section 5 and section 5-A of the Aircraft Act, 1934, read with Rule 11 and 78 of the Aircraft Rules, Section-40 of Airports Authority of India Act, 1994 and all other applicable statutes and other enabling powers in that regard and

to honour all contractual commitments including clause 5.5 of the Concession Agreement signed between Government of India and Hyderabad International Airport Limited (HIAL) on December 20th 2004, the Central Government hereby notifies that consequent on commissioning of the Rajiv Gandhi International Airport at Shamshabad, w.e.f. 00:01 hours of 23rd March, 2008, the Existing Airport at Hyderabad will no longer be available for civil aviation operations [which shall for these purpose, not include use of airport activity at times of national emergency or (at any time) by aircraft owned or operated by or for the Indian Air Force or other armed forces of India or Para Military Forces of India or Police or such other authorities or for transportation of dignitaries by special government owned, leased or hired VIP aircraft]. The International Air Transport Association Code "HYD" for the Existing Airport is transferred to Rajiv Gandhi International Airport from the above date and time.

General Aviation Services [other than those relating to commercial aircraft, charter flights, aircraft hired or operated under commercial arrangements] may continue to be provided at the Existing Airport at Hyderabad, notwithstanding the exclusion of Civil Aviation operations for commercial aircrafts. The license issued to AAI for operating the Existing Airport at Begumpet, Hyderabad shall stand amended specifically to the above extent.

[F. No. AV-20014/002/2008-AD]

K. N. SHRIVASTAVA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.